

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज पंचायत निगरानी संख्या 319/2023 जीसीएमएस नम्बर 2023/631 तहसीलदार ओसियां बनाम टीकमसिंह पुत्र हरिसिंह वगैरा</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>21.11.2024</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने बतलाया कि न्यायालय द्वारा प्रार्थी को पिछले कई पेशियों से अप्रार्थी संख्या 01 के कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया लेकिन अप्रार्थी ने आज दिनांक तक अप्रार्थी संख्या 01 के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की है। प्रार्थी का पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र एबेट हो जाने से खारिज करने की प्रार्थना की।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने स्वयं दिनांक 10.03.2016 को बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 01 फौत हो चुका है। न्यायालय द्वारा प्रार्थी तहसीलदार ओसियां को अप्रार्थी संख्या 01 के कायम मुकाम की कार्यवाही करने हेतु पत्र जारी किये गये लेकिन प्रार्थी ने आज दिनांक तक कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की। गत पेशी पर प्रार्थी को कायम मुकाम की कार्यवाही करने का अन्तिम अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रार्थी का पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र एबेट हो जाने से निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित) अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)</p>	